

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 दिसम्बर, 2017-अग्रहायण 10, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्री एस. पी. मालवी आत्मज स्व. श्री बच्चू लाल मालवी जो कि निवासी मकान नं. 403, सी-सेक्टर शाहपुरा, भोपाल में निवासरत हूँ. अतः मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश ईश मालवी (EESH MALVI) के स्थान पर ईश मालवी (EISH MALVI) हो गया है. अतः मैं सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे पुत्र को अब ईश मालवी (EESH MALVI) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

(524-बी.)

एस. पी. मालवी,

मकान नं. 403, सी-सेक्टर शाहपुरा, भोपाल.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स मैहर सर्विसेज, स्थित ए-24, साईं नगर, हरिशंकरपुरम, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00842/09, दिनांक 02 अगस्त, 2009 है. जिसमें दिनांक 06-05-2010 को भागीदार श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री रामसिया, निवासी भिण्ड अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 06-05-2010 को अवनिश कुमार पुत्र श्री अजय कुमार शर्मा फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. एवं दिनांक 13-02-2015 को भागीदार (1) श्री जीतेन्द्र मुदगल पुत्र स्व. श्री भगवानी प्रसाद मुदगल, (2) शिव कुमार भारद्वाज पुत्र श्री वनवारीलाल भारद्वाज, (3) संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री रामअवतार शर्मा भागीदारगण अपनी स्वेच्छा फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 13-02-2015 को श्रीमती मधु मिश्रा पत्नि श्री बाँबी मिश्रा, निवासी माधेनगर, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

(522-बी.)

फर्म-मैहर सर्विसेज,

अवनीश कुमार,

ग्वालियर.

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर, 2017

निविदा सूचना

क्र. जी. बी. चार/पेपर(1)2017-18/2420.-ऑनलाईन बिडिंग <https://www.mpeproc.gov.in> पर ई-टेंडर से तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 अपरान्ह 2.00 बजे तक की-डेट्स भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रिंटिंग पेपर क्रय हेतु निर्माता मिल/अधिकृत डीलर/अधिकृत एजेंट से आमंत्रित की जाती हैं.

2. टेण्डर फार्म, शर्तें एवं निविदा के अनुबंध का प्रारूप वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in पर भी रखा गया है।
 3. समस्त पूर्तियों के उपरांत ई-निविदा की हार्डकॉपी एवं नमूने सूची सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में की-डेट्स अनुसार जमा कराना होगा। ऑनलाईन निविदा एवं हार्डकॉपी दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 अपरान्ह 4.00 बजे की-डेट अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।
 4. सूचना/संशोधन/सुधार की स्थिति में जानकारी केवल वेबसाईट <https://www.mpeproc.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।
- (1679)

Bhopal, Dated 22nd November, 2017

TENDER NOTICE

No. GB-IV-Paper(1)2017-18/2420.—*Online Bidding go through IT Department Portal <https://mpeproc.gov.in> and Sealed Technical & Commercial E-Tenders are invited on or before 2.00 PM on 08-12-2017 as per Key-Dates for the Purchase of various types of Printing Paper from manufacturing mills or their authorized dealers can participate.*

2. Tender Document and agreement details of tender are available at website www.govtpressmp.nic.in
3. In all respects Hard Copy of the E-Tender document and sample of the items with list (sealed) must be received at the Office of the undersigned as per key dates. Envelope 'A' Hard Copy of Technical Tender will be opened ONLINE on or before 4.00 PM on 08-12-2017 and as per key dates in the office of the undersigned in the presence of such tenderers or thier authorised representatives as may be present.
4. All corrigendum/amendments/changes; if any will only be issued and made available only on <https://mpeproc.gov.in>.

P. NARHARI,
Controller,
Govt. Printing and Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

(1679-A)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील हुजूर, भोपाल

प्र.क्र. 01/बी-113/2017-18.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) के अन्तर्गत]

जैसा कि “माँ भद्रकाली सेवा चेरीटेबल न्यास” प्लॉट क्रमांक 64, कल्याण नगर ग्राम अचारपुरा, तहसील हुजूर भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2017 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के “एक माह”के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता : “माँ भद्रकाली सेवा चेरीटेबल न्यास”
प्लॉट क्र. 64, कल्याण नगर अचारपुरा, तहसील हुजूर, भोपाल.
2. चल सम्पत्ति : 2100/-
3. अचल सम्पत्ति : प्लॉट 1200 वर्गफिट ग्राम अचारपुरा.

आज दिनांक 07 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

अतुल सिंह,
अनुविभागीय अधिकारी.

(1681)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल, सेंधवा

समस्त पशु स्वामियों एवं चरवाहों को सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि सेंधवा वनमण्डल में निम्न लिखित वनक्षेत्र दिनांक 01 जुलाई, 2017 से आगामी आदेश तक चराई हेतु वर्जित होंगे. जो चरवाहे अथवा पशु स्वामी, इन वनक्षेत्रों में पशु चराते पाये जायेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

प्रपत्र

चराई वर्ष 2017-18 चराई हेतु प्रतिबंधित वृक्षारोपण की सूची (सेंधवा वनमण्डल, सामान्य)

परिक्षेत्र	वर्ष	चराई से प्रतिबंधित वृक्षारोपण क्षेत्रों का नाम एवं कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	2	3	4
वर्ष 2010-11			
सेंधवा	2010-11	मोहरतमाल, 570	50
पानसेमल	--,,--	सांपखडकी, 750	130
--,,--	--,,--	मनकुई, 772	150
--,,--	--,,--	कामठीनाला, 717	150
--,,--	--,,--	चालीपीठा, 725	130
--,,--	--,,--	बायगौर, 733	100
--,,--	--,,--	करणपुरा, 742	130
--,,--	--,,--	शिवनीपडावा, 784	120
--,,--	--,,--	मोयदा, 790	90
--,,--	--,,--	केवडी देवडी, 759	50
धनोरा	--,,--	किरचाली, 607	40
--,,--	--,,--	मुवास्या, 644	140
वरला	--,,--	डोगल्यापानी, 513	190
--,,--	--,,--	बाखली, 403	150
--,,--	--,,--	गुराड़पानी, 506	150
--,,--	--,,--	महानीम, 487	145
धवली	--,,--	458	0
--,,--	--,,--	खपाडा, 464	65
--,,--	--,,--	मोहनपुरा, 422	55
--,,--	--,,--	खपाडा, 433	70
--,,--	--,,--	धावडा, 442	50
सेंधवा	--,,--	उमरियापानी, 214	25

1	2	3	4
वरला	2010-11	जामठी, 141	25
सेंधवा	--,,--	खडक्या, 382	25
वरला	--,,--	सोलवन, 206	25
योग . .			2255

समिति द्वारा वनक्षेत्रों में रोपण

वरला	--,,--	बडियापानी, 183	5
--,,--	--,,--	कुंडिया, 191	5
--,,--	--,,--	हिगवा, 05	5
--,,--	--,,--	मालवन, 208	5
--,,--	--,,--	बाखर्ली, 02	5
धनोरा	--,,--	कडाईपानी, 264	8
--,,--	--,,--	कामोद, 291	8
--,,--	--,,--	जुलवान्या, 303	8
--,,--	--,,--	रामगढ़ी, 282	8
--,,--	--,,--	खपाडा, 104	8
--,,--	--,,--	अजगरिया, 117	8
--,,--	--,,--	जूनापानी, 68	8
पानसेमल	--,,--	मलगांव	5
--,,--	--,,--	करणपुरा	8
--,,--	--,,--	शिवनीपडावा	8
--,,--	--,,--	चालीपीठा	5
--,,--	--,,--	सांपखडकी	8
--,,--	--,,--	आमझिरी	8
--,,--	--,,--	भडभडा	8
--,,--	--,,--	मनकुई	8
--,,--	--,,--	मोयदा	8
--,,--	--,,--	गवाड़ी, 222	8
--,,--	--,,--	मोहाला, 235	8
--,,--	--,,--	झिरपन, 241	8
योग . .			171

वर्ष 2011-12

सेंधवा	2011-12	मोहरतमाल, 570	5
--,,--	--,,--	उमरियापानी, 573	30

1	2	3	4
सैंधवा	2011-12	खडक्या, 713	50
--,,--	--,,--	मोहरतमाल, 574	10
--,,--	--,,--	वाक्या, 604	10
--,,--	--,,--	बख्तरिया, 579	10
--,,--	--,,--	बघाड, 696	10
वरला	--,,--	कोलकी, 562	10
--,,--	--,,--	किरमला, 524	10
--,,--	--,,--	दुगानी, 484	10
--,,--	--,,--	सोलवन, 548	10
धवली	--,,--	जूनापानी, 425	10
--,,--	--,,--	धावडा, 444	10
धनोरा	--,,--	खापरखेडा, 676	10
--,,--	--,,--	सिरवेल, 677	10
--,,--	--,,--	केलपानी, 679	10
--,,--	--,,--	चाचरिया, 631	10
पानसेमल	--,,--	मनकुई, 769	10
--,,--	--,,--	मोयदा, 785	10
--,,--	--,,--	तालाब, 798	10
--,,--	--,,--	मलगांव, 741	10
योग . .			265

वर्ष 2012-13

सैंधवा	2012-13	मिश्रित वृक्षारोपण, साली कला 716	50
--,,--	--,,--	बांस रोपण, भंवरगढ़, 569	20
--,,--	--,,--	सागोन वृक्षारोपण, सालीकला 716	25
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार मोहरतमाल 571	35
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास, भंवरगढ़ 585	60
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास, जामन्या 700	30
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास, बघाड़ 701	20
पानसेमल	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण, तालाब 806	50
--,,--	--,,--	बांस वृक्षारोपण, मलगांव 741	20
--,,--	--,,--	सागोन वृक्षारोपण, तालाब 806	25
--,,--	--,,--	सागोन वृक्षारोपण, आमझिरी 749	50
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार चालीपीठा 718	110

1	2	3	4
पानसेमल	2012-13	बिगड़े वनों का सुधार चालीपीठा 726	160
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार बायगौर 734	100
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार करणपुरा 742	150
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार सॉपखडकी 752	89.7
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार केवडी देवडी 759	60
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार मनकुई 772	100
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार शिवनी पडावा 786	80
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार गोदीकाचली 799	100
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास पन्नाली 751	80
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास मनकुई 770	100
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास खडीखम 792	116
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास तलाब 805	42
धनोरा	--,,--	बॉस वृक्षारोपण गुडा 617	20
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार रामगढी 634	59.29
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार रामगढी 645	125.4
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास कढाईपानी 619	10.006
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास कामोद 651	10
वरला	--,,--	बॉस वृक्षारोपण सोलवन 565	20
--,,--	--,,--	सागोन वृक्षारोपण महेन्द्यापानी 187	50
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार महानीम 489	83.65
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार बडियापानी 542	68.35
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार अम्बावतार 500	20
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार छत्रीपडावा 514	72.9
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास किरमला 525	40
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास कुडीया 549	25
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास मोहनपडावा 561	44.8
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास खुटवाडी 404	30
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास महानीम 485	50
धवली	--,,--	बॉस वृक्षारोपण अजगरिया 472	20
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार अड़नदी 430	55.1
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार धावडा 441	76.95

1	2	3	4
धवली	2012-13	बिगड़े वनों का सुधार धावडा 443	73.37
--,,--	--,,--	बिगड़े वनों का सुधार खपाडा 460	7
		योग . .	2627.52

वर्ष 2013-14

पानसेमल	2013-14	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना चालीपीठा 718	161.79
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना चालीपीठा 726	154.240
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना बायगौर 734	138.400
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना मलगाव 743	202.740
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना सापखडकी 753	126.990
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना भडभडा 768	100.370
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना मोहल्यापानी 773	80.00
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना मांडवीपाडवा 786	70.00
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना गोंदीकाचली 799	119.410
सेंधवा	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना मोहरतमाल 571	85.460
धनोरा	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना राजनगाव 635	120.00
धवली	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना अडनदी 431	105.00
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना खपाडा 435	99.940
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना अजगरिया 451	89.250
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना खपाडा 459	63.710
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना अजगरिया 466	71.110
वरला	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना ढोकल्यापानी 494	45.00
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना गुराडपानी 506	60.86
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना चिलारिया 515	70.00
--,,--	--,,--	आर. डी. एफ. पुर्नस्थापना डोगल्यापानी 530	87.800
पानसेमल	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास सापखडकी 751	209.970
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास मनकुई 770	172.890
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास गोदीकाचली 800	118.740
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास तलाव 806	74.160
सेंधवा	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास उमरियापानी 575	74.000
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास मोहाला 598	40.000
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास बघाड 699	30.000

1	2	3	4
सेंधवा	2013-14	उर्जावन चारागाह विकास बघाड 701	69.160
धनोरा	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास कामोद 651	0.000
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास केलपानी 682	0.000
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास खापरखेडा 684	0.000
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास खापरखेडा 690	0.000
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास गुडा 615	71.810
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास राजनगाव 628	78.940
धवली	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास अडनदी 429	88.600
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास धवली 413	17.780
वरला	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास मोहनपडावा 540	97.880
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास मोहनपडावा 523	86.960
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास महानीम 486	75.050
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास खुटवाडी 405	00.000
--,,--	--,,--	उर्जावन चारागाह विकास कुडीया 551	00.000
सेंधवा	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण भवरगढ 585	30.00
पानसेमल	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण करणपुरा 730	35.00
वरला	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण महेन्द्रपानी 547	35.00
सेंधवा	--,,--	सागोन वृक्षारोपण भवरगढ 569	50
पानसेमल	--,,--	सागोन वृक्षारोपण करणपुरा 729	50
वरला	--,,--	सागोन वृक्षारोपण महेन्द्रपानी 187	50
योग . .			3608.01
वर्ष 2014-15			
वरला	2014-15	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V द. अम्बावतार 495	50
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V उ. दुगानी 505	60
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V बलवाडी 520	60
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V महेद्रपानी 544	150
पानसेमल	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V धावडी 727	210.4
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V बायगौर 735	159
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V मलगाव 743	111.3
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V पन्नली 753	63
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V घट्टया 763	119.5

1	2	3	4
पानसेमल	2014-15	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V मनकुई 773	106
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V खडीखम 786	270.2
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V मोयदा 801	90
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V धावडी 719	85.6
सेंधवा	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V भवरगढ़ 573	120
धनोरा	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V चाचरिया बी 635	33
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V रामगढ़ी बी 648	98
धवली	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V द. धावडा 455	70
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V खोखरी 467	75
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V अडनदी 431	88
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V अडनदी 437	120
--,,--	--,,--	पुर्नस्थापना वन प्रबंधन वृत्त V उ. खट्टी 451	80
वरला	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V महानीम 486	50
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V द. किरमला 527	50
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V वरला 405	50
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V कुडिया 550	30
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V कोलकी 560	100
पानसेमल	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V मलफा 749	135
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V मनकुई 771	135
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V खडीखम 794	148.5
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V राजमली 812	75
सेन्धवा	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V गवाडी 576	17.6
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V मोहाला 596	151.8
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V वाक्या 605	102.7
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V गवाडी 712	139.9
धनोरा	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V रामकुल्ला 616	20
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V चाचरिया बी 632	19
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V चाचरिया बी 627	50
धवली	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V उ. खट्टी 480	64
--,,--	--,,--	उर्जा एवं चारागाह विकास वन प्रबंधन वृत्त V द. खट्टी 449	40
योग . .			1378.50

1	2	3	4
वर्ष 2014-15			
सेंधवा	2014-15	पर्यावरण वानिकी कार्य हर्षनगर सेंधवा बीट सेंधवा	2.00
पानसेमल	--,,--	पर्यावरण वानिकी कार्य शिवटेकरी पानसेमल बीट पानसेमल	2.00
--,,--	--,,--	पर्यावरण वानिकी कार्य खडीखम 791	9.00
वरला	--,,--	पर्यावरण वानिकी कार्य मोहनपडावा 535	1.00
योग . .			14.00
वर्ष 2014-15			
धवली	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण दक्षिण धावडा 426	10
--,,--	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण भामपूरा 658	15
धनोरा	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण रामगढी बी 651	25
--,,--	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण रामकुल्ला 608	25
वरला	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण जामटी 497	25
पानसेमल	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण पश्चिम बायगोर 728	50
--,,--	--,,--	मिश्रित वृक्षारोपण सुलगाव 797	50
योग . .			200
वर्ष 2014-15			
सेंधवा	2014-15	सागोन वृक्षारोपण आचली 586	20
वरला	--,,--	सागोन वृक्षारोपण हिगवा 542	50
पानसेमल	--,,--	सागोन वृक्षारोपण धावडी 725	30
पानसेमल	--,,--	सागोन वृक्षारोपण खडीखम 791	50
योग . .			150
वर्ष 2014-15			
सेंधवा	2014-15	पुनस्थापना प्रबंधन वृत्त XV मोहाला कक्ष 595	70
पानसेमल	--,,--	पुनस्थापना प्रबंधन वृत्त XV भडभडा कक्ष 763	50
धनोरा	--,,--	पुनस्थापना प्रबंधन वृत्त XV रामकुल्ला कक्ष 649	140
धनोरा	--,,--	पुनस्थापना प्रबंधन वृत्त XV मुवास्या कक्ष 663	40
धनोरा	--,,--	पुनस्थापना प्रबंधन वृत्त XIV खपाडा कक्ष 460	69
धवली	--,,--	पुनस्थापना प्रबंधन वृत्त XV अडनदी कक्ष 440	75
धवली	--,,--	पुनस्थापना प्रबंधन वृत्त XII अडनदी कक्ष 439	97
धवली	--,,--	पुनस्थापना प्रबंधन वृत्त XI अजगरिया कक्ष 469	99

1	2	3	4
धवली	2014-15	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त XII अजगरिया कक्ष 468	55
धवली	--,,--	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त XV अजगरिया कक्ष 471	165
धवली	--,,--	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त XIV उमरियापानी कक्ष 473	140
धवली	--,,--	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त XV खपाडा कक्ष 455	70
योग . .			1070
वर्ष 2014-15			
सेंधवा	2014-15	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त XV गवाडी कक्ष 580	81
धनोरा	--,,--	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त V खपरखेडा कक्ष 691	45
धनोरा	--,,--	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त IV भामपुरा कक्ष 651	75
धनोरा	--,,--	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त IV केलपानी कक्ष 680	10
धनोरा	--,,--	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त IV केलपानी कक्ष 682	15
धनोरा	--,,--	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त V चाचरिया कक्ष 682	10
धनोरा	--,,--	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त V जुलवानिया कक्ष 654	15
धवली	--,,--	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त XV जुनापानी कक्ष 424	50
योग . .			301
वर्ष 2015-16			
वरला	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI धामन्या कक्ष 508	168.00
वरला	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI जुनापानी कक्ष 497	124.00
वरला	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI महेन्द्रयापानी कक्ष 555	200.00
वरला	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI दुगानी कक्ष 520	97.00
वरला	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI मोगरियापानी कक्ष 719	108.00
वरला	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI बायगौर कक्ष 727	108.00
वरला	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI देवगड कक्ष 737	101.00
वरला	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI टेमली कक्ष 744	195.00
पानसेमल	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI पन्नाली कक्ष 754	222.00
पानसेमल	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI भडभडा कक्ष 763	98.00
पानसेमल	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI पिपलोद कक्ष 774	110.00
पानसेमल	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI खडीखम कक्ष 787	100.00
पानसेमल	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI झेंडियामाल कक्ष 801	111.00
सेंधवा	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI मोहाला कक्ष 573	71.00
धनोरा	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI मुवास्या कक्ष 648	87.00
धनोरा	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI रामकुल्ला कक्ष 636	133.00
योग . .			2033.00

1	2	3	4
वर्ष 2015-16			
धवली	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI उमरियापानी कक्ष 432	80.00
धवली	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI अडनदी कक्ष 439	114.00
धवली	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI खोखरी कक्ष 452	68.00
धवली	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI खपाडा कक्ष 458	76.00
धवली	2015-16	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VI अजगरिया कक्ष 462	81.00
योग . .			419.00
वर्ष 2015-16			
सेंधवा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI नवलपुरा 713	122.00
सेंधवा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI राईखेडा 577	105.00
सेंधवा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI वाक्या 605	93.00
सेंधवा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI आचली 597	90.00
पानसेमल	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI आचली 749	102.00
पानसेमल	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI मनकुई 775	266.00
पानसेमल	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI सुलगाँव 795	114.00
धनोरा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI राजमली 809	129.00
धनोरा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI सुरानी 618	98.00
धनोरा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI कामोद 654	106.00
धनोरा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI सिरवेल 681	118.00
धनोरा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI चाचरिया पाटी 628	103.00
धनोरा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI रामकुल्ला 691	101.00
धनोरा	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI शिवन्या 685	129.00
वरला	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI कोलकी 558	120.00
वरला	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI किरमला 522	149.00
वरला	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI वरला 408	106.00
वरला	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI वरला 409	78.00
वरला	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI सोलवन 567	130.00
वरला	2015-16	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI दुगानी 488	120.00

1	2	3	4
धवली	2015-16	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI अम्बापानी 478	66.00
धवली	2015-16	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VI धवली 444	69.00
योग . .			2514.00
वर्ष 2015-16			
सेंधवा	2015-16	पर्यावरण वानिकी कार्य वनमण्डल कैम्पस सेंधवा	1.50
सेंधवा	2015-16	पर्यावरण वानिकी कार्य सालीकला कक्ष 715	10.00
पानसेमल	2015-16	पर्यावरण वानिकी कार्य शिवटेकरी पानसेमल	5.85
वरला	2015-16	पर्यावरण वानिकी कार्य मोहनपडावा 539	3.50
वरला	2015-16	पर्यावरण वानिकी कार्य हिंगवा 538	2.50
योग . .			23.35
वर्ष 2015-16			
धनोरा	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण मुवास्या 658	25.00
धनोरा	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण मुवास्या 652	10.00
पानसेमल	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण मलगांव 728	50.00
पानसेमल	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण मनकुई 775	30.00
योग . .			115.00
वर्ष 2015-16			
धनोरा	2015-16	सागौन वृक्षारोपण सिरवेल 694	25.00
धनोरा	2015-16	सागौन वृक्षारोपण मुवास्या 652	25.00
पानसेमल	2015-16	सागौन वृक्षारोपण मलगांव 741	50.00
पानसेमल	2015-16	सागौन वृक्षारोपण मनकुई 777	50.00
वरला	2015-16	सागौन वृक्षारोपण बाखर्ली 403	50.00
योग . .			200.00
वर्ष 2016-17			
वरला	2016-17	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII धामन्या 509	96.45
वरला	2016-17	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII जूनापानी 498	139.45
वरला	2016-17	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII दूगानी 521	172.21
वरला	2016-17	पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त VII महेन्द्रयापानी 534	222.02

1	2	3	4
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII मोगरियापानी 720	167.73
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII बायगौर 728	297.48
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII देवगढ 736	95.39
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII टेमली 744	210.84
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII पननाली 755	105.15
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII भडभडा 763	139.13
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII पिपलोद 774	117.79
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII खडीखम 788	181.37
पानसेमल	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII झेण्डियामाल 802	105.89
सेंधवा	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII मोहाला 599	116.580
धनोरा	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII मुवास्या 652	96.13
धनोरा	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII रामकुल्ला 636	89.04
धवली	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII उमरियापानी 427	197.05
धवली	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII खोखरी 452	105.43
धवली	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII खपाडा 457	138.29
धवली	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII अजगरिया 464	127.25
धवली	2016-17	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त VII अडनदी 436	180.80
योग . .			3101.47

वर्ष 2016-17

सेंधवा	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII नवलपुरा 713	79.43
सेंधवा	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII रोईखेडा 577	127.17
सेंधवा	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII वाक्या 606	81.6
सेंधवा	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII आचली 597	119.66
पानसेमल	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII मलगांव 760	170.17
पानसेमल	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII मनकुई 775	301.15
पानसेमल	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII सुलगांव 795	118.65
पानसेमल	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII राजमली 828	180.72
धनोरा	2016-17	उर्जाविन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII सुरानी 614	106.200

1	2	3	4
धनोरा	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII कामोद 666	160.72
धनोरा	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII सिरवेल 681	113.04
धनोरा	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII चाचरिया 620	208.70
धनोरा	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII धनोरा 692	181.29
धनोरा	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII शिवन्या 678	119.50
वरला	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII कोलकी 540	154.32
वरला	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII किरमला 512	268.51
वरला	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII वरला 406	68.75
वरला	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII वरला 407	35.95
वरला	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII सोलवन 554	123.42
वरला	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII दुगानी 488	124.74
योग . .			2843.69
वर्ष 2016-17			
धवली	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII धवली 470	195.23
धवली	2016-17	उर्जावन एवं चारागाह विकास प्रबंधन वृत्त VII अम्बापानी 479	132.05
योग . .			327.28
वर्ष 2016-17			
वरला	2016-17	मिश्रित वृक्षारोपण खुटवाडी 404	35
वरला	2016-17	मिश्रित वृक्षारोपण महेन्द्रयापानी 546, 551	15
धनोरा	2016-17	मिश्रित वृक्षारोपण कडाउईपानी 614	50
योग . .			100.00
वर्ष 2016-17			
पानसेमल	2016-17	सागौन वृक्षारोपण वासन्यापानी 776	50
पानसेमल	2016-17	सागौन वृक्षारोपण मोंयदा 802	20
पानसेमल	2016-17	सागौन वृक्षारोपण तालाब 805	30
धवली	2016-17	सागौन वृक्षारोपण खपाडा 458	25
धवली	2016-17	सागौन वृक्षारोपण खोखरी 459	25
योग . .			150.00

1	2	3	4
वर्ष 2017-18			
वरला	2017-18	आर. डी. एफ. VIII छतरीपड़ावा 516	112.81
पानसेमल	2017-18	आर. डी. एफ. VIII भागलअम्बा 736	125.1
पानसेमल	2017-18	आर. डी. एफ. VIII निलबावड़ी 745	172.45
पानसेमल	2017-18	आर. डी. एफ. VIII उमरबेड़ा 764	166.3
पानसेमल	2017-18	आर. डी. एफ. VIII वासन्यापानी 776	113.84
धनोरा	2017-18	आर. डी. एफ. VIII खुरमाबाद 637	157.16
धनोरा	2017-18	आर. डी. एफ. VIII भामपुरा 652	171.62
धवली	2017-18	आर. डी. एफ. VIII खपाड़ा 461	133.39
धवली	2017-18	आर. डी. एफ. VIII खोखरअम्बा 423	173.970
योग . .			1326.64
वर्ष 2017-18			
सेंधवा	2017-18	उर्जावन VIII गवाड़ी 809	130.31
धनोरा	2017-18	उर्जावन VIII कढाईपानी 614	95.27
पानसेमल	2017-18	उर्जावन VIII मनकुई 830	268.92
पानसेमल	2017-18	उर्जावन VIII उमरबेड़ा 760	152.6
पानसेमल	2017-18	उर्जावन VIII गोंदीकाचली 796	173.9
वरला	2017-18	उर्जावन VIII कोलकी 558	140.49
धवली	2017-18	उर्जावन VIII अजगरिया 480	91.34
धवली	2017-18	उर्जावन VIII धावड़ा 445	91.34
वरला	2017-18	उर्जावन VIII हिंगवा 566	5
योग . .			1149.17
वर्ष 2017-18			
पानसेमल	2017-18	केम्पामद कालापाट 706	20
सेंधवा	2017-18	केम्पामद तलाब 806	30
सेंधवा	2017-18	केम्पामद गवाड़ी 580	35
योग . .			85.00

राजेश कुमार राय,
वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 07 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/3272.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 744, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा माँ ज्वालेश्वरी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाडलिया जिसका पंजीयन क्रमांक 2007, दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एन. मेहता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-पंजीयक.

(1683)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला सागर

सागर, दिनांक 08 नवम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सचिव,
ग्रामीण मत्स्य सहकारी समिति मर्या., पटकुई,
जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2017/1974.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार ग्रामीण मत्स्य सहकारी समिति मर्या., पटकुई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 645, दिनांक 27 सितम्बर, 1996 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द करते हुये सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार-

1. निर्वाचन कक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री आर. के. केसरी, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित जानकारी प्रस्तुत कर लेख किया है कि संस्था निर्वाचन करान में रुचि नहीं ले रही है तथा आवश्यक प्रपत्र/जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा रही है, जिससे निर्वाचन नहीं कराया जा सका है.

अतः उपर्युक्त कारणों से सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रामीण मत्स्य सहकारी समिति मर्या., पटकुई को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1684)

सागर, दिनांक 08 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

नारी कल्याण उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 306, दिनांक 03 जुलाई, 1977 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2017/314, दिनांक 20 फरवरी, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री राकेश जैन, सहकारी निरीक्षक, सागर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 16 जुलाई, 2017 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया. पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2017/314, दिनांक 20 फरवरी, 2017 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए नारी कल्याण उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 306, दिनांक 03 जुलाई, 1977 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ:-

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम
1.	श्रीमती सुलोचना मलैया/स्व. महेन्द्र मलैया		अध्यक्ष	7.	श्रीमती निधि जैन/सुनील जैन		सदस्य
2.	श्रीमती दीप्ति चंदेरिया/अनिल चंदेरिया		उपाध्यक्ष	8.	श्रीमती नम्रता फुसकेले/पेट्रिस फुसकेले		सदस्य
3.	श्रीमती कल्पना ठाकुर/हीरासिंह ठाकुर		उपाध्यक्ष	9.	श्रीमती सुनीता चौधरी/प्रशान्त चौधरी		सदस्य
4.	श्रीमती ज्योत्सना पाटिल/दिलीप पाटिल		सदस्य	10.	श्रीमति राजश्री जैन/आनंद जैन		सदस्य
5.	श्रीमती नूतन नाहर/कमल कुमार नाहर		सदस्य	11.	श्रीमति स्नेहप्रभा जैन/संतोष कुमार जैन		सदस्य
6.	श्रीमती शकुंतला जैन/देवेन्द्र कुमार जैन		सदस्य				

संस्था का निर्वाचन 03 माह के अंदर करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 08 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

पी. आर. कावड़कर,
उप-पंजीयक.

(1685)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 17 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1172.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्र./परि./2017/698, 699,700,701,702,704, दिनांक 07 जून, 2017 के द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	सहकारी प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था, श्योपुर	06/08-08-2017	698/07-06-2017
2.	स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था मर्या., श्योपुर	24/25-06-2003	699/07-06-2017
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., फतेहपुर	76/20-06-2007	700/07-06-2017

1	2	3	4
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जानपुरा	78/20-06-2017	701/07-06-2017
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खिरखिरी	106/02-03-2009	702/07-06-2017
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भूरबाडा	136/13-04-2011	704/07-06-2017

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण के कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गए समझे जावेंगे एवं संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(1686) आर. एल. सगर,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियां जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 कं अंतर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	प्राथमिक विस्थापित माँ नर्मदा मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., धुल्लाघाट (बरगी).	1029	2966/19-07-2017
2.	आदिवासी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., तिखारी	1914	2967/19-07-2017
3.	कृषि उद्यान सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	396	2969/19-07-2017

अतः मैं, राजेन्द्र यादव, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

(1687) राजेन्द्र यादव,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण को जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियां जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	जय दुर्गा प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर	909	1353/13-06-2017
2.	सौरभ प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर	1073	1314/09-06-2017
3.	प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., व्हीकल स्टेट, जबलपुर	949	1313/09-06-2017

अतः मैं, राजेश कुमार मेहता, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण को जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

(1688) राजेश कुमार मेहता,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण को जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियां जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	जबलपुर ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1446	1355/13-06-2017

अतः मैं, टी. आर. विदेही, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण को जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समिति की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

(1689)

टी. आर. विदेही,

उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण को जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	माँ वैष्णो ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1456	1312/09-06-2017

अतः मैं, रघुनाथ कुदोलिया, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण को जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समिति की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

(1690)

रघुनाथ कुदोलिया,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण को जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा 70 (1) के तहत संशोधित आदेश क्रमांक 3142/दिनांक 11 सितम्बर, 2017 द्वारा मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	तार परियात कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	760	1149/26-05-2017

अतः मैं, सुनील खरे, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण को जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध

जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समिति की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

सुनील खरे,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(1691)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण को जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	आर्डिनेंस फैक्टरी अप्रेंटिस एवं औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1888	2933/14-07-2017

अतः मैं, नितिन मेहरा, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण को जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समिति की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

नितिन मेहरा,

(CI) एवं परिसमापक.

(1692)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	वैष्णोदेवी प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर	1518	1352/13-06-2017
2.	पैट्रोलियम वर्क्स एवं लेबर कॉन्ट्रैक्ट सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1938	2934/14-07-2017
3.	माँ सरस्वती सहकारी साख समिति मर्या., जबलपुर	579	2935/14-07-2017

अतः मैं, टी. आर. चौधरी, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

(1693)

टी. आर. चौधरी,
उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 07 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	संस्कारधानी मुद्रणालय सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	225	3144/21-08-2017

अतः मैं, पी. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समिति की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

(1694)

पी. अग्रवाल,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियां जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	केशरवानी महाविद्यालय कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	519	2968/19-07-2017

1	2	3	4
2.	प्रियदर्शिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मजीठा	1845	3141/21-08-2017
3.	नगर निगम कार्पोरेशन कर्मचारी वेलफेयर साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	2003	3143/21-08-2017

अतः मैं, एम. एल. जैन, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

एम. एल. जैन,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(1695)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	शमा प्राथ उप. सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर	1209	1354/13-06-2017

अतः मैं, के. के. तिवारी, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समिति की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

के. के. तिवारी,

उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(1696)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दासौर

मन्दासौर, दिनांक 29 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)(2)]

स्टील नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मन्दासौर जिसका पंजीयन क्रमांक-16, दिनांक 19 जून, 1982 है को कार्यालयीन आदेश

क्र./परिसमापन/62/2003, दिनांक 07 जनवरी, 2003 एवं संशोधित क्र./1004/2014, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) अंतर्गत श्री एस. एल. बामनिया, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ की संस्था का निगम निकाय बॉडी कार्पोरेट के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1697)

मन्दसौर, दिनांक 29 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)(2)]

मित्र मण्डली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक-33, दिनांक 17 अक्टूबर, 1986 है को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/149/2014, दिनांक 12 फरवरी, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) अंतर्गत श्री एस. एल. बामनिया, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ की संस्था का निगम निकाय बॉडी कार्पोरेट के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 29 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

भारत सिंह चौहान,

उप-पंजीयक.

(1698)

कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, उज्जैन, संभाग उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 09 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1208.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	संकट मोचन साख सह. संस्था मर्या., उज्जैन	JR/UJN/12/17-02-2014

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 27 अप्रैल, 2017 को प्रभारी अधिकारी द्वारा लिखित जवाब-पत्र प्रस्तुत किया गया है। संस्था अकार्यशील है एवं संस्था के अंकेक्षण की पुनरावृत्ति की जा रही है। संस्था सहकारी सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, अभय खरे, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, संभाग उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-2010-पन्द्रह-1-बी भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता

हूँ परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	संकट मोचन साख सह. संस्था मर्या., उज्जैन	JR/UJN/12/17-02-2014	श्री एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक

यह आदेश आज दिनांक 09 नवम्बर, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

(1700)

उज्जैन, दिनांक 09 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1209.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	आरोग्य धनवर्षा साख सह. संस्था मर्या., उज्जैन	JR/UJN/10/17-02-2014

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 27 अप्रैल, 2017 को प्रभारी अधिकारी द्वारा लिखित जवाब-पत्र प्रस्तुत किया गया है। संस्था अकार्यशील है एवं संस्था के अंकेक्षण की पुनरावृत्ति की जा रही है। संस्था सहकारी सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, अभय खरे, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, संभाग उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-2010-पन्द्रह-1-बी भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	आरोग्य धनवर्षा साख सह. संस्था मर्या., उज्जैन	JR/UJN/10/17-02-2014	श्री एस. के. मेहता, सहकारी निरीक्षक

यह आदेश आज दिनांक 09 नवम्बर, 2017 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

(1701)

अभय खरे,
संयुक्त आयुक्त सहकारिता.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 दिसम्बर, 2017-अग्रहायण 10, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 14 जून, 2017

1. **मौसम एवं वर्षा.**-राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक- तहसील अम्बाह, पोरसा, मुर्ना, जौरा, सबलगढ़ (मुर्ना), अटेर, भिण्ड, गोहद, मेहगांव (भिण्ड), शिवपुरी, खनियाधाना, नरवर, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), अशोकनगर (अशोकनगर), राधौगढ़, बम्होरी, चाचौड़ा (गुना), टीकमगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), पन्ना, गुन्नौर (पन्ना), बण्डा, राहतगढ़, केसली (सागर), हटा, तेन्दूखेड़ा (दमोह), रघुराजनगर, रामनगर (सतना), त्यौंथर (रीवा), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), गोपदबनास, सिंहाबल (सीधी), संजीत (मंदसौर), मौमन बड़ोदिया (शाजापुर), ब्यावरा (राजगढ़), ग्यारसपुर (विदिशा), बेगमगंज, बाडी (रायसेन), शाहपुर, बैतूल, आठनेर (बैतूल), होशंगाबाद, पचमढ़ी (होशंगाबाद), हरदा, खिड़किया, टिमरनी (हरदा), नरसिंहपुर (नरसिंहपुर), मण्डला, नैनपुर, बिछिया, घुघरी (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, तामिया, सौंसर, अमरवाड़ा, उमरेठ, चांद, जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा), कुरई, केवलारी, लखनादोन, छापरा, घनोरा (सिवनी), बालाघाट, लांजी, किरनापुर, कटंगी, परसवाड़ा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि.मी. तक- तहसील लहार, रोम-मिहोना (भिण्ड), पिछोर, कोलारस (शिवपुरी), मुंगावली, ईसागढ़ (अशोकनगर), गुना, कुम्भराज (गुना), सागर, रेहली, देवरी (सागर), नीमच (नीमच), बाजना, राबटी (रतलाम), महिदपुर (उज्जैन), कालापपीपल (शाजापुर), डही (धार), संधवा, पानसेमल, पाटी (बड़वानी), पुनासा, हरसूद (खण्डवा), बासोदा, नटेरन, विदिशा, सिरोंद (विदिशा), बैरसिया (भोपाल), उदयपुरा (रायसेन), घोड़ाडोंगरी, चिचौली, मुलताई (बैतूल), सोहागपुर (होशंगाबाद), कुण्डम, सीहोरा, पाटन (जबलपुर), परासिया, चौरई (छिन्दवाड़ा), सिवनी (सिवनी), बैहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि.मी. तक- तहसील कराहल (श्यापुर), चंदेरी (अशोकनगर), आरोन (गुना), मऊगंज (रीवा), जैतहरी (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), जावरा (रतलाम), नागदा (उज्जैन), अलीराजपुर, सौण्डवा (अलीराजपुर), बडवाह, कसरावद (खरगौन), ठीकरी (बडवानी), बुरहानपुर, खकनार (बुरहानपुर), जीरापुर, पचौर (राजगढ़), लटेरी, गुलाबगंज (विदिशा), सीहोर, नसरुल्लागंज (सीहोर), बरेली (रायसेन), सिवनी-मालवा (होशंगाबाद), तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर), मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), घंसोर (सिवनी), बरघाट (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 से 244.9 मि.मी. तक- तहसील खुरई (सागर), धुंधड़क्का (मंदसौर), आलोट सेलाना, ताल, पिपलोदा, रतलाम (रतलाम), खाचरोद, तराना, घटिया, उज्जैन, बड़नगर (उज्जैन), शाजापुर, सुजालपुर (शाजापुर), जोवट, कटटीवाडा, उदयगढ़, चं. शेखर आजादनगर (अलीराजपुर), बदनावर, सरदारपुर, धार, कुच्छी, धरमपुरी, गंधवानी (धार), खरगौन, महेश्वर, सेगांव, गोगावां, भगवानपुरा, भीकनगांव, झिरन्या (खरगौन), बड़वानी, राजकोट, बरला, निवाली (बड़वानी), खण्डवा, पंधाना (खण्डवा), नेपानगर (बुरहानपुर), राजगढ़, खिलचीपुर, सारंगपुर (राजगढ़), कुरवाई (विदिशा), जावट (सीहोर), जबलपुर, मझोली (जबलपुर), बिछुआ, हरई, पांढुर्णा (छिन्दवाड़ा), बरघाट (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**- जिला ग्वालियर में जुताई एवं धान रोपाई, सागर, दमोह, अनूपपुर, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, देवास, राजगढ़, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, सिवनी में जुताई कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**- जिला ग्वालियर, गुना, देवास, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, सिवनी में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति-** . .

5. **कटाई.**- जिला पन्ना, सीहोर, भोपाल में जायद की फसलों की कटाई कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**- जिला ग्वालियर, सागर, सिंगरौली, जिला डिण्डोरी की तहसील तामिया, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 14 जून, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	4.0				
2. पोरसा	3.0				
3. मुरैना	4.8				
4. जौरा	2.0				
5. सबलगढ़	13.0				
6. कैलारस	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	7.5				
2. कराहल	51.0				
3. विजयपुर	. .				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	1.0				
2. भिण्ड	8.1				
3. गोहद	5.0				
4. मेहगांव	4.5				
5. लहार	31.1				
6. मिहोना } 7. रौन }	32.0				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू धान रोपाई चालू	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .				
2. डबरा	. .				
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	. .				
2. दतिया	. .				
3. भाण्डेर	. .				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	12.0				
2. पिछौर	29.0				
3. खनियाधाना	5.0				
4. नरवर	11.0				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	20.0				
7. पोहरी	5.0				
8. बदरवास	17.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	23.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	25.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	15.5				
4. चन्देरी	49.0				
5. शाढौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	23.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	6.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	7.0				
4. आरोन	41.0				
5. चाचौड़ा	4.0				
6. कुम्भराज	31.0				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	3.0				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	1.0				
7. ओरछा	3.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बक्सवाहा	..				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई चालू	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. पन्ना	7.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	2.1				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	55.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	8.0				
4. सागर	27.5				
5. रेहली	33.0				
6. देवरी	25.0				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	3.0				
9. केसली	14.4				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	13.0		4. (1) गन्ना, मूँग, जायद, मूँग, उड़द, जायद सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .				
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	12.4				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	1.2		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .				
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	4.0				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	3.0		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर अधिक. मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .				
3. नईगढ़ी	. .				
4. मऊगंज	47.2				
5. जवा	. .				
6. हनुमना	. .				
7. मनगवा	. .				
8. हजूर	. .				
9. गुढ़	. .				
10. सेमरिया	. .				
11. रायपुरकचुलियान	. .				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .				
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	36.4		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .				
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	16.4				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बांधवगढ़	40.6		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .				
3. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	8.8		4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	7.0				
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..				
21. जिला मंडसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सुवासराटप्पा	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंडसौर	28.0				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुंधड़क्का	55.0				
9. संजीत	0.5				
10. कयामपुर	..				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	31.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	..				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	40.0		4.(1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	75.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. टाल	53.4				
4. सैलाना	103.2				
5. बाजना	21.0				
6. पिपलोदा	121.0				
7. रावटी	22.0				
8. रतलाम	54.8				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	104.0		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	32.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	90.0				
4. घटिया	110.0				
5. उज्जैन	101.0				
6. बड़नगर	107.0				
7. नागदा	41.0				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोंमन बड़ोदिया	5.0		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	68.0		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	104.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कालापीपल	20.0				
5. गुलाना	43.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. खातेगांव	..				
28. *जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	53.5				
2. अलीराजपुर	48.4				
3. कट्टीवाड़ा	90.0				
4. सोंडवा	49.0				
5. उदयगढ़	69.8				
6. चं. शे. आ. नगर	114.8				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, कपास, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	101.6				
2. सरदारपुर	84.0				
3. धार	96.0				
4. कुक्षी	100.0				
5. मनावर	151.0				
6. धरमपुरी	66.0				
7. गंधवानी	100.0				
8. डही	33.0				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. .. 4. (1) तुवर, चना अधिक. गेहूँ, अलसी, राई-सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	52.7				
2. महेश्वर	112.0				
3. सेगांव	67.0				
4. खरगौन	95.7				
5. गोगावां	68.0				
6. कसरावद	51.0				
7. भगवानपुरा	65.0				
8. भीकनगांव	147.0				
9. झिरन्या	115.7				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अन्जड	. .		4. (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. बड़वानी	56.6		(2) गन्ना, मक्का, ज्वार, अधिक. कपास कम.		
3. ठीकरी	51.0				
4. (राजकोट) राजपुर	56.0				
5. सेंधवा	20.4				
6. पानसेमल	29.0				
7. पाटी	20.0				
8. बरला	173.0				
9. निवाली	115.0				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	108.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	94.0		(2) . .		
3. पुनासा	19.0				
4. हरसूद	31.0				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. कपास की बोनी चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	38.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	41.2		(2) . .		
3. नेपानगर	87.0				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	45.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	84.0		(2) . .		
3. राजगढ़	89.4				
4. ब्यावरा	15.2				
5. सारंगपुर	119.0				
6. पचोर	44.0				
7. नरसिंहगढ़	21.0				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	49.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	30.0		(2) . .		
3. कुरवाई	83.5				
4. बासोदा	27.8				
5. नटेरन	24.0				
6. विदिशा	26.5				
7. गुलाबगंज	38.0				
8. ग्यारसपुर	15.0				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	19.0		4. (1) सोयाबीन, मूंग, उड़द, ज्वार. मक्का, धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बैरागढ़	45.2		(2) . .		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	37.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	24.0		(2) . .		
3. आष्टा	34.0				
4. जावर	69.0				
5. इच्छावर	34.0				
6. नसरुल्लागंज	43.0				
7. रेहली	. .				
8. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. गैरतगंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	7.0				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	35.0				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	1.5				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	20.0				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	26.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	10.8				
4. चिचोली	18.2				
5. बैतूल	7.5				
6. मुलताई	30.0				
7. आठनेर	6.5				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	52.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	0.8		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	18.0				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. पचमढी	9.0				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. हरदा	3.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	11.5		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	13.6				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	20.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	25.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	57.3				
4. मझोली	54.6				
5. कुण्डमपुर	24.0				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघौगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) तुअर, धान, अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		सोयाबीन, गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	7.0		(2) . .		
4. गोटेगांव	. .				
5. तेंदूखेड़ा	45.0				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	12.9		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	6.2				
4. मण्डला	4.2				
5. घुघरी	3.1				
6. नारायणगंज	12.8				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	3.7		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	. .				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. तह. तामिया	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	3.6		4. (1) . .	में अपर्याप्त	8. पर्याप्त.
2. मोहखेड़ा	47.8		(2) . .	शेष अपर्याप्त	
3. जुन्नारदेव	13.6			6. संतोषप्रद,	
4. चांद	2.4			चारा पर्याप्त.	
5. परासिया	21.0				
6. तामिया	16.6				
7. सोंसर	10.0				
8. उमरेठ	2.1				
9. पांढुर्णा	71.3				
10. अमरवाड़ा	6.0				
11. चौरई	18.4				
12. बिछुआ	54.5				
13. हरई	60.8				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	23.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	15.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादोन	5.4				
4. बरघाट	65.4				
5. कुरई	2.0				
6. घंसौर	51.0				
7. घनौरा	3.4				
8. छपारा	1.3				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	3.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	8.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	30.0				
4. पारासिवनी	. .				
5. कटंगी	13.5				
6. किरनापुर	17.4				
7. खैरलाँजी	. .				
8. लालबर्सा	. .				
9. बिरसा	36.3				
10. परसवाड़ा	12.0				

टीप.-*जिला झाबुआ से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1680)